## अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

निहालसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा— 136 एल0आर0एक्ट                                   मु0नं0—30 / 2023

पीठासीन अधिकारी— यशवन्त मीना (आर0ए0एस0)

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31.05.2024 | प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई पेश किए जाने पर पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि पत्रावली मे जवाब स्टेट प्राप्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई स्वीकार कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी जावे। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम जोधपुरा पटवार हल्का ठीकरिया तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि खाता संख्या नया 34 पुराना 23, खाता संख्या नया 41 पुराना 13 में प्रार्थी का सही नाम निहालसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह दर्ज है जो कि सही है लेकिन खाता संख्या नया 11 पुराना 11 में प्रार्थी का नाम लीलूसिंह पुत्र रूगनाथ एवं खाता संख्या नया 40 पुराना 11 में प्रार्थी का नाम लीलूसिंह पुत्र रूगनाथ तथा खाता संख्या नया 14 पुराना 13 में निहालसिंह उर्फ लीलूसिंह पुत्र रूगनाथ दर्ज है जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थी का सही नाम निहालसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह है इसलिए उक्तानुसार शुद्धि की जावे। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक एलआर / 2024 / 719 दिनांक 15.03.2024 द्वारा पेश जवाब का अवलोकन किया गया। जवाब स्टेट में निहालसिंह एवं लीलूसिंह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के होना जाहिर किया है । इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अ0धा0 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या नया 11 पुराना 11, खाता संख्या नया 40 पुराना 11 एवं खाता संख्या नया 14 पुराना 13 में प्रार्थी का नाम लीलूसिंह पुत्र रूगनाथ के स्थान पर निहालसिंह पुत्र रघुनाथ दर्ज करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें। तहसीलदार सिकराय को पालना हेतु तहरीर जारी हो।<br><br>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सिकराय (दौसा) | उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट सिकराय जिला–दौसा (राज.) |